vè;k; 18

दीवानी बंदी

दीवानी कक्ष में दीवानी बंदियों का संसीमन

555. प्रत्येक दीवानी बंदी को साधारणतः कारा के दीवानी कक्ष में रखा जाएगा। जिन काराओं में दीवानी कक्ष न हों या कारा में प्रदान किया गया कक्ष अपर्याप्त या अनुपयुक्त हो तो दीवानी बंदियों को कारा के ही किसी भाग में रखा जाएगा बशर्ते कि यहाँ दीवानी बंदी अपराधी बंदियों से बिल्कुल अलग रहें।

दीवानी बंदियों का वर्गीकरण

556. दीवानी बंदियों के छः वर्ग होंगे, यथा–

(i) वैसे व्यक्ति जिन्हें दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 32 (घ) के अधीन व्यवहार न्यायालय के आदेश से दीवानी कारावास मिला है

(ii) वैसे प्रतिवादी जिन्हें फैसला सुनाए जाने के पूर्व गिरफ्तार करने के बाद दीवानी कारावास में रखा गया है;

(iii) वैसे निर्णीत ऋणी जिन्हें किसी डिक्री के क्रियान्वयन में किसी व्यवहार न्यायालय के आदेश के अधीन हवालात में रखा गया है;

(iv) वैसे निर्णीत ऋणी जिन्हें लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन निलाम पत्र पदाधिकारी के आदेश के तहत निरूद्ध किया गया हो;

(v) वैसे व्यक्ति जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 318, 332, या 514 के अधीन किसी अपराधिक न्यायालय के आदेश के तहत कारा में रखा गया हो;

(vi) ऐसे व्यक्ति जिन्हें अस्थायी रूप से लाकर किसी अन्य कानून के अधीन दीवानी कारावास दिया गया हो।

दीवानी कैदियों की दवाओं तथा भोजन का व्यय

557. दीवानी प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची, क्रम संख्या XXI नियम संख्या 39 के अधीन ऋणी को डिक्री धारी के खर्चे पर निदेशित किया जाएगा। लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन निर्णीत ऋणी के मामले में निलाम पत्र पदाधिकारी भोजन की राशि या तो बंदी को अग्रसारित करेगा या आदेश देगा कि उसे सरकार के खर्चे पर गैर श्रमिक पैमाने पर खाना खिलाया जाए।

558. दीवानी बंदी के बीमार पड़ जाने की स्थिति में उसके इलाज का खर्च डिक्री धारी या सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

बीमारी के आधार पर मुक्ति

559. किसी निर्णीत ऋणी को किसी संक्रामक या छूत की बीमारी होने के आधार पर सजा देने वाले न्यायालय अथवा राज्य सरकार द्वारा दीवानी कारा से रिहा किया जा सकेगा।

भोजन की राशि, यदि कोई हो, के बकाये का न्यायालय को वापस किया जाना

560. किसी दीवानी बंदी के रिहा हो जाने के पश्चात्, यदि भोजन की कोई राशि का शेष उपाधीक्षक के पास हो, तो इसे न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा।

दीवानी बंदी अपना रख–रखाव स्वयं करेगे।

561. दीवानी बंदियों को अपने स्वयं के वस्त्रों एवं बिस्तरों के प्रयोग करने या निजी स्रोतों से भोजन, वस्त्र एवं विस्तर या अन्य आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने की अनुमति होगी। यदि कोई बंदी स्वयं पर्याप्त वस्त्र और बिस्तर की व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो अधीक्षक ऐसे वस्त्र एवं बिस्तर जो उसके विचार से आवश्यक हो, की आपूर्ति करेगा। दीवानी बंदियों को फर्निचर और उपकरणों जैसे परम आवश्यक चीजों की आपूर्ति कारा द्वारा की जाएगी।

जांचोंपरांत दीवानी बंदियों को सामानों की आपूर्ति

562. किसी दीवानी बंदी के प्रयोग के लिए आपूर्ति की गयी प्रत्येक वस्तु उपाधीक्षक (प्रशासन एवं सुरक्षा) के माध्यम से दी जाएगी और उसी के द्वारा जांच करवायी जाएगी। किसी दीवानी बंदी को कोई मादक दवा या किसी प्रकार की शराब नहीं दी जाएगी। अन्य बंदियों को जिन वस्तुओं को रखने की मनाही होगी दीवानी बंदियों को भी उनके रखने की मनाही होगी।

दीवानी बंदी कोई काम कर सकेंगे और कमाई कर सकेंगे

563. किसी दीवानी बंदी पर श्रम करने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। दीवानी बंदी, अधीक्षक की अनुमति से किसी कारा–कर्मशाला में काम कर सकेंगे या किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण में भाग ले सकेंगे और इसके लिए विहित पारिश्रमिक या पारितोषिक प्राप्त करने के योग्य होंगे।

दीवानी कैदियों का दिवालियापन

564. दिवालियापन अधिनियम, 1907 के वे उद्धरण, जिनमें दिवालियापन से संबंधित प्रावधान हैं, को दीवानी ऋणियों तथा राजस्व दोषियों को आवंटित प्रत्येक कक्ष या कोठरी में चिपकाये जाएँगे और इस अधिनियम के अधीन दिवालिया घोषित किये जाने के इच्छुक दीवानी बंदियों को अधीक्षक द्वारा समस्त आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

दिवालियापन का अभ्यावेदन कारा पदाधिकारियों द्वारा लिखा जा सकेगा और इसके लिए कागज और लेखन सामग्री की यथा आवश्यकता आपूर्ति की जाएगी।

दीवानी बंदियों को रोक रखा जाना और मुक्ति

565. दीवानी बंदी को निरूद्धीकरण प्राधिकार के आदेशानुसार ऐसे प्राधिकार द्वारा विहित किसी अवधि के लिए निरूद्ध किया जाएगा। किसी दीवानी बंदी की निरूद्ध अवधि, की समाप्ति, चाहे वह राजपत्रित या कारा अवकाश हो, होने पर रिहा किया जाएगा।